



सेवा में,

श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा, बिहार-811105

विषय:- स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी का पैसा गबन करने के संबंध में,

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं राजीव रंजन उम्र-31वर्ष, मोबाइल नंबर- 9570639395, पिता- वासुकी मंडल, ग्राम- बाघमारा, पोस्टऑफिस- चुआं, थाना-खैरा, जिला- जमुई, बिहार-811305 का स्थाई निवासी हूँ। वर्तमान मे मैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी के शेखपुरा मे शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। यह शाखा शेखपुरा में नाम-विकास कुमार(8789730162), पिता- गोविन्द प्रसाद यादव, पता-बाई पास रोड, बंगाली टोला, शेखपुरा, पोस्टऑफिस- शेखपुरा, थाना- शेखपुरा, जिला- शेखपुरा, बिहार-811105 के मकान में स्थित है। हमारी कंपनी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी महिलाओं को लोन देने तथा उनसे क्रिस्त वसूली करने के लिए कंपनी शाखा प्रबंधक एवं ऋण अधिकारी को कार्य पे रखती है जो कर्मचारी ग्रामीण महिलाओं को समूह में उनके छोटे-छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन प्रदान करती है और मासिक तौर पे लोन की क्रिस्त की वसूली करती है और कंपनी के हेड ऑफिस के बैंक खाता में डिपॉजिट करती है। मेरे शेखपुरा शाखा का कर्मचारी (1). रंजीत कुमार, उम्र-21वर्ष(मोबाइल नंबर-9798243398), पिता- साहेब यादव (मोबाइल नंबर-8233763625), ग्राम-जाजल, पोस्टऑफिस- सिकंदरा, थाना- सिकंदरा, जिला- जमुई, बिहार-811315 का स्थायी निवासी है जिन्होंने ने दिनांक 06-07 सितम्बर 2025 (ग्राम- बंगालीपर, पैन, सरबा) का कलेक्शन किया साथ ही महिला ग्राहकों को बहला फुसला कर ज्यादा ऋण प्रदान करने का लालच देकर, झूठ बोलकर एडवांस कलेक्शन किया और कुल ₹3,05,327/- रूपया गबन किया है और कर्मचारी रंजीत कुमार कंपनी छोड़ के भाग गया। श्रीमान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिनांक 07 सितम्बर 2025 को मेरे शेखपुरा शाखा का पूर्व कर्मचारी (2). रितेश कुमार, उम्र-22वर्ष(मोबाइल नंबर-9065645953), पिता- राजेश्वरी पंडित(मोबाइलनंबर- 7808305936), ग्राम-चंदनपुरा, पोस्टऑफिस-अलीनगर, थाना-सूरजगढा, जिला-लखीसराय, बिहार-811106 का स्थायी निवासी है जिसको हमारी कंपनी ने दिनांक 17 अप्रैल 2025 का कलेक्शन करके एंटी न करने के कारण रितेश कुमार को कारण बताओ नोटिस पत्र जारी किया था जिसके बाद रितेश कुमार ने कंपनी के नियमों के विरुद्ध घृणित कार्य किया और महिला ग्राहकों के किशतों के पैसे को बैंक में समय पे न जमा करने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया लेकिन दिनांक 07 सितम्बर 2025 के दिन हमारे एक सेंटर मीटिंग में (ग्राम- पचना) जाके महिला ग्राहकों को बहला फुसला कर के और झूठ बोल कर कुल ₹2,48,643/-रूपया ले करके बोला कि जो ऋण

Registered Shalishpur P.S. Case No. 275/25 dt-17/9/25  
V/S - 319(2)/318(4)/352/351(2)/3(5) BNS S.I. Kosi  
Subhas Singh with P.S. Investigate Shis case.

17/9/25

अधिकारी आते थे उनके पापा जी की मृत्यु हो गयी अब मैं ही यहाँ कुछ दिन पैसे कलेक्ट करूँगा और जब हम लोगो को ये बात पता चली तो हम लोग उसके घर गए तब उसके लोगो ने हम लोगो को जान से मरने एवं गंदी गाली देकर भगा दिया। श्रीमान मैं आपको इस बात से अवगत करना चाहता हूँ कि हमारे शेखपुरा शाखा में रितेश कुमार ने बैंक के ₹41,240 का गबन किया था तथा हमारे दो और कर्मचारी ने हमारे शेखपुरा शाखा में जिनके (3). नाम- रंजीत कुमार, उम्र-24वर्ष(मोबाइल नंबर-8809137509), पिता- रामप्रवेश प्रसाद(मोबाइल नंबर-9934673551), ग्राम- मुरादचक, पोस्टऑफिस- बरनी, थाना-धनरुआ, जिला- पटना, बिहार-804452 का स्थायी निवासी है जिसने कुल ₹211417 का गबन किया है और (4). अमन कुमार उम्र-23वर्ष(मोबाइल नंबर-7979773126,9117091438), पिता- संजय शर्मा(मोबाइल नंबर-9661402933), ग्राम- भटगवां पूर्वी मलाही, पोस्टऑफिस- बाढ़, थाना-बाढ़, जिला- पटना, बिहार-803213 का स्थायी निवासी है जिसने कुल ₹38014 का गबन किया है। उपरोक्त तथ्यों अभिलेखों एवं स्थानीय जाँच के उपरांत यह स्पष्ट रूप से पाया गया की उपरोक्त चारों कर्मचारियों के द्वारा एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत छल पूर्वक अभिलेखों से कपट पूर्वक प्रविष्टिया दर्ज कर विभिन्न लोन लेने वाली महिला ग्राहकों (जिसकी सूची) साथ संगलन है और इन चारों के द्वारा हमारे महिला ग्राहकों लोन की किस्तों के कुल ₹8,44,641/-रूपया का गबन कर लिया है, विधीत है की इन कर्मचारियों से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी और हमारे शाखा प्रबंधक और 4 अधिकारी के साथ उनके घर पे गए थे तो उनके द्वारा तथा उनके परिवार के द्वारा गंदी-गंदी गली दी गयी और हम लोग को धमकी भी दिया गया है कि अगर दुबारा हम लोग उनके घर पे गए तो हम लोगो को जान से मारने की धमकी दी गयी है और हमारे सारे अधिकारियों को फ़ोन करके धमकी दे रहा है कि 2 दिन में आप सब को जान से मार दूँगा जिसकी रिकॉर्डिंग भी है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार, यह पाया गया कि शेखपुरा शाखा के महिला ग्राहकों के पैसे को बैंक के अकाउंट में डिपाजिट नहीं किया गया है जब यह जानकारी हमारी इंटरनल ऑडिट टीम ने इसकी पुष्टि की इस शेखपुरा शाखा में कुल ₹8,44,641/- रूपया की गबन हुई है और अभी हमारी इंटरनल ऑडिट टीम इस शेखपुरा शाखा के फील्ड को अच्छे तरीके से जांच कर रही है और इस दौरान हमारे फील्ड से अमाउंट बढ़ने के भी चांस है।

अतः अनुरोध है की चारों के विरुद्ध उपरोक्त राशि के गबन के मामले में उचित कानूनी करवाई की जाए।

प्राथी,

राजीव रंजन

Shekhpura@SpandanaSphoorty.com

9570639695

17/09/25